

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.
(आयुष्मान भारत, मध्यप्रदेश)

क्रमांक./ए.बी./2018/18/

भोपाल, दिनांक / /

प्रति

जिला कलेक्टर
समस्त
मध्य प्रदेश ।

विषय :- दिनांक 09.08.2018 को आयुष्मान भारत म.प्र के क्रियांवयन के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण में जिला क्रियांवयन इकाई के सदस्यों की उपस्थिति बाबत।

संदर्भ:- 1/ इस कार्यलय का पत्र क्र. क्रमांक./एच.सी./ए.बी./2018/18/09 दिनांक 03.08.2018 ।
2/ इस कार्यलय का पत्र क्र. क्रमांक./स्वास्थ्य आयुक्त/2018/18/11 दिनांक 03.08.2018 ।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र भोपाल के संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के द्वारा आयुष्मान भारत के क्रियांवयन हेतु जिला क्रियांवयन इकाई के गठन के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं, जिनमें निम्नानुसार सदस्य है :-

क्रं	वर्तमान पदनाम	DIU में पदनाम
1	जिला मलेरिया अधिकारी	जिला नोडल अधिकारी DNO
2	जिला प्रोग्राम मैनेजर, एन.एच.एम	जिला कार्यक्रम समन्वयक DPC
3	जिला ई-ग्रवर्नेंस मैनेजर	जिला सूचना प्रणाली प्रबंधक DISM
4	जिला मिडिया अधिकारी/प्रभारी	जिला शिकायत निवारण अधिकारी DGM
5	जिला कम्यूनिटी मोबिलाइजर	जिला कार्यक्रम सह-समन्वयक DCM
6	RMO/DHO	आमंत्रित सदस्य

जिला क्रियांवयन इकाई के सदस्यों का प्रशिक्षण दिनांक 09.08.2018 को प्रातः 10:00 बजे से प्रशासन अकादमी, भोपाल के ओडिटोरियम में रखा गया है (पत्र की प्रति संलग्न) ।

कृपया, सर्व-संबंधितों को उपस्थिति हेतु आदेशित करने का अनुरोध है ।

(रुही खान)

अपर संचालक (नर्सिंग एवं प.क)

एवं कार्यपालन अधिकारी

आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 07/08/2018

पृ. क्रमांक./2018/18/13

1. समस्त क्षेत्रिय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पतान अधीक्षक, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र।
4. समस्त जिला मलेरिया अधिकारी म.प्र।
5. समस्त जिला प्रोग्राम मैनेजर, एन.एच.एम।
6. समस्त मिडिया अधिकारी/प्रभारी।
7. समस्त कम्यूनिटी मोबिलाइजर
8. समस्त RMO
9. प्रभारी एम.आई.एस(एम.आई.एस)स्थानीय कार्यलय ।

Ru

अपर संचालक (नर्सिंग एवं प.क)

एवं कार्यपालन अधिकारी

आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.
(आयुष्मान भारत, मध्यप्रदेश)**

क्रमांक./एच.सी./ए.बी./2018/18/09

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा जारी आदेश क्रमांक HC/17/2018 दिनांक 24.07.2018 अधिक्रामित करते हुये यह नवीन आदेश जारी किया जाता है।

1/प्रस्तावना :-म.प्र. शासन द्वारा को दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद् स्वीकृत किया गया है, जिसको पूरे प्रदेश में 15 अगस्त 2018 से प्रारम्भ किया जाना संभावित है। इसके दो मुख्य स्तंभ हैं, देश में एक लाख हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स स्थापित करना एवं 10 करोड़ परिवारों को रुपये 5.00 लाख प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना। इस योजना के मुख्य पहलू निम्नानुसार हैं:-

- योजना में सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना (SECC)में चिन्हित D-1सेD-7 (D-6को छोड़कर)वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार सम्मिलित होंगे एवं चिन्हित व्यवसाय-आधारित शहरी परिवार सम्मिलित रहेंगे, साथ ही कुछ श्रेणियों के परिवार स्वतः ही समावेशित रहेंगे।
- SECC के आधार पर मध्यप्रदेश में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सम्मिलित परिवारों की कुल संख्या 83,81,782 निम्न प्रकार से अनुमानित की गई है:-

1	स्वतः(Automatic)समावेशित परिवार	3,96,787
2	D-1सेD-7 (D-6को छोड़कर)वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार	63,94,323
3	Occupationआधारित शहरी परिवार	15,90,672
	कुल परिवारों की संख्या	83,81,782

- उपरोक्त के अतिरिक्त, म.प्र. शासन, द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रदाय समग्र पर्ची/पात्रता पर्ची एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों (संबल योजना) को भी शामिल किया गया है। आगामी समय में अन्य योजनाओं के हितग्राहियों या समाज के अन्य वर्गों को भी इस योजना में शामिल किये जाने पर विचार किया जावेगा। इस प्रकार प्रदेश में कुल 1.4 करोड़ पात्र परिवार संभावित है।
- आयुष्मान भारत मिशन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत सामाजिक आर्थिक, जातिगत गणना (SECC) में चिन्हांकित लाभार्थियों के उपचार हेतु भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत तथा राज्य शासन द्वारा 40 प्रतिशत व्ययभार वहन किया जावेगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा उक्त योजना में जोड़े जा रहे लाभार्थियों के उपचार पर व्यय होने वाली 100 प्रतिशत राशि वहन की जावेगी।
- संबंधित समस्त चिकित्सालयों में हेल्प डेस्क कियोस्क बनाया जावेगा, जिससे कि योजना में शामिल लाभार्थी परिवारों को एक ही स्थान पर समस्त जानकारी प्राप्त हो सके एवं उन्हें उपचार प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो। इस कियोस्क का संचालन "आयुष्मान मित्र" द्वारा किया जाएगा।
- जिला चिकित्सालयों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में जो उपचार/प्रक्रिया हो सकते हैं उनको चिन्हांकित एवं आरक्षित किया गया है। समस्त शासकीय जिला चिकित्सालयों

को इम्पेनल किया जा रहा है। सविल सर्जन से अपेक्षा है कि वे ऑनलाईन पोर्टल पर जिला चिकित्सालयों के इम्पेनलमेन्ट की तैयारी पूर्ण कर चिकित्सा उपचार प्रारंभ करें।

- आयुष्मान भारत मिशन योजना को प्रदेश में लागू करने हेतु मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत, "दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद" का पंजीयन किया गया है। जो इस हेतु कार्यकारी एजेंसी का कार्य करेगी।

2/ उपरोक्त आयुष्मान भारत के सफल क्रियान्वयन हेतु भारत शासन के निर्देश अनुसार जिला क्रियान्वयन इकाई DIU का गठन निम्नानुसार किया जाता है, जिसमें पूर्व से कार्यरत अधिकारियों को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ साथ DIU में उनके पदनामों के समक्ष उल्लेखित पदों के कर्तव्यों का भी निर्वाहन करेंगे :-

क्रं	वर्तमान पदनाम	DIU में पदनाम	रिपोर्ट करें
1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष	स्वास्थ्य आयुक्त
2	जिला मलेरिया अधिकारी	जिला नोडल अधिकारी DNO	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डी.डी.एस.एस. पी.
3	जिला प्रोग्राम मैनेजर, एन.एच. एम	जिला कार्यक्रम समन्वयक DPC	जिला नोडल अधिकारी DNO
4	जिला ई- ग्रवर्नेस मैनेजर	जिला सूचना प्रणाली प्रबंधक DISM	जिला नोडल अधिकारी DNO
5	जिला मीडिया अधिकारी/प्रभारी	जिला शिकायत निवारण अधिकारी DGM	जिला नोडल अधिकारी DNO
6	जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर	जिला कार्यक्रम सह-समन्वयक DCM	जिला नोडल अधिकारी DNO
7	RMO/DHO	आमंत्रित सदस्य	-

3/ जिला क्रियान्वयन इकाई की कार्यकारी समिति निम्न प्रकार होगी।

1. जिला मलेरिया अधिकारी - जिला नोडल अधिकारी DNO
2. जिला प्रोग्राम मैनेजर, एन.एच.एम - जिला कार्यक्रम समन्वयक DPC
3. जिला ई- ग्रवर्नेस मैनेजर - जिला सूचना प्रणाली प्रबंधक DISM
4. जिला मीडिया अधिकारी/प्रभारी - जिला शिकायत निवारण अधिकारी DGM

4/ जिला क्रियान्वयन इकाई में नामांकित सदस्यों के कार्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित रहेंगे:-

i/ DIU के अध्यक्ष जिला कलेक्टर तथा इनसे अपेक्षायें:-

- जिले की DIU के गठन का औपचारिक आदेश जारी करना ।
- जिले के समस्त विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर योजना का सफल क्रियान्वयन कराया जाना ।
- आयुष्मान भारत कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा करना ।
- आयुष्मान भारत कार्यक्रम से संबंधित सुझावों से परिषद को अवगत कराना ।
- अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर योजना के सफल क्रियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित करना ।

ii/ जिला मलेरिया अधिकारी= जिला नोडल अधिकारी :-

- यह मुख्य रूप से कार्यक्रम के प्रमुख रहेंगे जोकि आयुष्मान भारत के सफल एवं सुचारु संचालन के लिए उत्तरदायी रहेंगे।
- समय-समय पर एवं आवश्यकता अनुसार जिला कलेक्टर से बैठक कराना।
- जिला चिकित्सा बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित करना, preauthaorization एवं दावा निपटान गतिविधियों से संबंधित कार्य और साप्ताहिक रिपोर्ट परिषद को प्रेषित करना।
- अस्पताल समीक्षा (पैनल) की रिपोर्ट का मूल्यांकन करना और अनुपालन निर्णय के लिए परिषद को प्रेषित करना।
- सूचीबद्ध जिला अस्पताल में आयुष्मान मित्र की संबद्धता सुनिश्चित करना।
- जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) के साथ डीएनओ द्वारा कियोस्क के लिए स्थान की पहचान करना (कम से कम 1 और 2) अस्पतालों में बिस्तारों की संख्या के मान से।
- आयुष्मान मित्र और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण योजना तैयार करना।
- आयुष्मान मित्र और प्रत्येक हितधारक की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर ओरियन्टेशन प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना।
- डीआईयू को प्राप्त राशि का वित्त संहिता अनुसार प्रबंधन। डीआईयू कियान्वयन हेतु किए गए सभी खर्चों के लिए भुगतान करना।
- एनएचएम से प्राप्त डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा आयुष्मान भारत कार्यक्रम में किये गये कार्यों के लिये मानदेय का वितरण कराना।
- परिचालन प्रक्रियाओं और अन्य प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना।
- आंतरिक और बाहरी संचार निर्बाध तरीके से सुनिश्चित करना।
- राज्य योजना के साथ प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर गतिविधियों को सुनिश्चित करना।

iii/ जिला प्रोग्राम मेनेजर, एन.एच.एम= जिला कार्यक्रम समन्वयक (DPC) :-

- जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) नामांकित (डीपीसी) रहेंगे।
- अस्पतालों (निजी और सार्वजनिक) को पैनल आवेदन प्रक्रिया के लिए समर्थन - डेटा एंट्री, एनएचएम पोर्टल आदि पर पैनलिंग के लिए आवेदन करने के लिए अस्पतालों को समग्र समर्थन प्रदान करना।
- निजी और सार्वजनिक अस्पतालों के इम्पैनलमेन्ट हेतु आवेदनों का मूल्यांकन करना।
- निजी और सार्वजनिक अस्पतालों का निरीक्षण और नोडल अधिकारी के साथ रिपोर्ट को साझा करना।
- प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पत्र के मुद्रण और वितरण की व्यवस्था।
- जिला स्तर पर परिचालन का पर्यवेक्षण करना।
- लाभार्थी पहचान, सेवाओं का उपयोग, जागरूकता, अस्पताल नेटवर्क का विस्तार, निगरानी, लेखा परीक्षा, प्रशिक्षण, रिपोर्टिंग, एमआईएस इत्यादि के दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित कराना।
- कार्यक्रम के डेटा की गुणवत्ता और समयबद्धता को बनाए रखना।
- प्री-ऑथोराईजेशन और दावों की समीक्षा करना।

- टीमों के समन्वय के साथ कार्य करते हुये समय-समय पर राज्य स्तर पर डेटा के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित करना।
- योजना में भाग लेने वाली सभी संस्थाओं का नियमित रूप से निगरानी करना जिससे की यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रक्रियाएं परिभाषित मानकों के अनुसार सम्पन्न की जा रही है।

iv/ जिला ई- गवर्नेंस मैनेजर= जिला सूचना प्रणाली प्रबंधक (DISM)


- जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर (डीजीएम) प्रत्येक जिले के लिए नामांकित डीआईएसएम रहेंगे।
- आयुष्मान भारत के सुचारु कामकाज के लिए सॉफ्टवेयर कार्यात्मक आवश्यकताओं को समझाना।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल मिलाकर पर्यवेक्षण और आईटी कार्यों का प्रबंधन करना
- राष्ट्रीय पोर्टल पर लाभार्थी के डेटा सत्यापन कर रही ग्राउंड टीम को समर्थन प्रदान करना
- डेटा प्रविष्टि पर कर्मचारियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- डेटा एंट्री टीम (जैसे पोर्टल धीमी, गांवों के रूप में दिखाए जाने वाले शहरी क्षेत्रों आदि) के सामने आने वाले तकनीकी मुद्दों को सुलझाना।
- अस्पतालों (निजी और सार्वजनिक) को पैनल आवेदन प्रक्रिया के लिए समर्थन करना।
- एनएचए की लाभार्थी सूचना प्रणाली (बीआईएस) पोर्टल के लिए आयुष्मान मित्रों और अन्य कर्मचारियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- बीआईएस पर तकनीकी मुद्दों को एकत्रित करना और उनको सुलझाने की प्रक्रिया के साथ परिषद् को प्रेषित करना।
- अस्पताल पैनल मॉड्यूल पर मुद्दों को एकत्रित करना और उनको सुलझाने की प्रक्रिया के साथ परिषद् को प्रेषित करना।
- दावे प्रक्रिया प्रबंधन मॉड्यूल (जब यह ऑनलाइन है) प्राप्त मुद्दों को एकत्रित कर परिषद् को प्रेषित करना।
- सूचना प्रणाली के उपयोग के साथ-साथ अस्पतालों की सहायता - लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस), अस्पताल पैनल मॉड्यूल और एनएचए के दावों / लेनदेन मॉड्यूल प्राप्त करना।
- हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अपटाइम, डेटा की उपलब्धता, अखंडता और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- प्रक्रिया प्रलेखन और कार्यान्वयन की गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखना।
- ओवरसीज समस्या निवारण, सिस्टम बैकअप, संग्रह, और आपदा वसूली और आवश्यक होने पर विशेषज्ञ सहायता प्रदान करना।
- आवधिक आधार पर डैशबोर्ड पर डेटा के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कार्यों और अन्य हितधारकों के बीच टीमों के साथ काम करना।
- वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा परिभाषित डेटा के लिए डेटा सुरक्षा और एक्सेस प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।

v /जिला मीडिया अधिकारी = जिला शिकायत निवारण अधिकारी(DGM)

- जिला मीडिया अधिकारी (डीएमओ)/प्रभारी प्रत्येक जिले के लिए नामांकित डीजीएम रहेंगे ।
- जिला शिकायत प्रबंधक योजना के संबंध में लाभार्थियों की सभी शिकायतों के निवारण के लिए नोडल अधिकारी रहेंगे ।
- लाभार्थियों के शिकायत समाधान पर कार्य जिन्हें जिला स्तर पर हल किया जा सकता है ।
- समय सीमा में शिकायत का निराकरण सुनिश्चित करना ।
- जिला स्तर पर प्राप्त और हल की गई सभी शिकायतों पर एक रिपोर्ट को एकत्रित कर परिषद् को अग्रेषित करना ।
- जिन शिकायतों का जिसे जिला स्तर पर हल नहीं किया जा सकता है उनका समय-समय पर परिषद् के संज्ञान में लाना ।
- योजना के प्राचार प्रसार के लिये आईईसी योजना तैयार करना एवं परिषद् से प्राप्त निर्देशों के तहत आई.ई.सी. क्रियाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ।
- आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार जिला शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी) की स्थापना में सहायता करना ।
- हितधारकों के अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना ।
- डीजीआरसी की नियमित बैठकों का आयोजन कराना ।
- राज्य को समय-समय पर शिकायत प्रक्रिया ऑडिटकराने में सहायता करना ।
- शिकायतों को लॉगइन करने के लिए उपलब्ध माध्यमों (जैसे कॉल सेंटर और वेबसाइट) को लोकप्रिय बनाएं रखना ।

vi/ जिला कम्युनिटी मोबेलाईजर=जिला कार्यक्रम सह-समन्वयक DCM

- डीआईयू पर डीसीएम जोड़ने के लिए तर्क यह है कि आशा कार्यकर्ता डीसीएम से निर्देशों के अधिक ग्रहणशील हैं और इससे कार्यान्वयन की सफलता में वृद्धि होगी
- आयुष्मान भारत कार्यक्रम के बारे में आशा और एएनएम को अवगत कराते हुये उनका ओरियेन्टेशन एवं प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- ब्लॉक स्तर पर आशा कार्यकर्ता और एएनएम के संगठित करने के लिए ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करना ।
- आशा कार्यकर्ता और एएनएम को आईईसी सामग्री उपलब्ध कराना ।
- आशा कार्यकर्ता और एएनएम द्वारा आयुष्मान भारत कार्यक्रम अन्तर्गत की गई कार्यवाहियों/गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करना ।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति पर परिषद् को रिपोर्ट अग्रेषित करना ।



(डॉ. पल्लवी जैन गोविल)

वि.क.अ.सह आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक./एच.सी./ए.बी./2018/18/10
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, श्रम, मंत्रालय मध्यप्रदेश।
4. प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय मध्यप्रदेश।
5. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
6. प्रबंध संचालक एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
7. सी.ई.ओ. मेप आई टी, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला कलेक्टर म.प्र.।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश।
10. समस्त, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला डी.एच.ओ./आर.एम.ओ.मध्यप्रदेश।
13. समस्त जिला सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
14. समस्त जिला (जिला क्रियान्वयन इकाई) जिला मलेरिया अधिकारी, मध्यप्रदेश।
15. जिला कार्यक्रम प्रबंधक एन.एच.एम. मध्यप्रदेश, समस्त जिला।
16. समस्त जिला, जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर मध्यप्रदेश।
17. समस्त जिला मीडिया अधिकारी/प्रभारी मध्यप्रदेश।
18. समस्त जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर मध्यप्रदेश।

वि.क.अ.सह आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्य प्रदेश

क्रमांक /स्वा. आयुक्त/ 2018/12

भोपाल, दिनांक 03/08 / 2018

प्रति

समस्त क्षेत्रिय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश ।
समस्त जिला मलेरिया अधिकारी
समस्त जिला प्रोग्राम मेनेजर, एन.एच.एम
समस्त जिला ई- ग्रवर्नेस मेनेजर
समस्त जिला मिडिया अधिकारी / प्रभारी
समस्त जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर
समस्त RMO

विषय :- दिनांक 09.08.2018 को आयुष्मान भारत, मध्यप्रदेश के तहत दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद संबंधित प्रशिक्षण में उपस्थित होने के संबंध में ।

आयुष्मान भारत, मध्यप्रदेश से संबंधित प्रशिक्षण दिनांक 09.08.2018 को प्रशासन अकादमी, शाहपुरा भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण में समस्त जिलों में आयुष्मान भारत योजना के तहत जिला क्रियावयन इकाई (DIU) में नामांकित अधिकारियों को उपस्थित होना अनिवार्य है। निम्न निर्देशित जिलों के क्षेत्रिय संचालक उनके बैच के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होवे:-

क्रं	वर्तमान पदनाम	DIU में पदनाम
1	जिला मलेरिया अधिकारी	जिला नोडल अधिकारी DNO
2	जिला प्रोग्राम मेनेजर, एन.एच.एम	जिला कार्यक्रम समन्वयक DPC
3	जिला ई- ग्रवर्नेस मेनेजर	जिला सूचना प्रणाली प्रबंधक DISM
4	जिला मिडिया अधिकारी / प्रभारी	जिला शिकायत निवारण अधिकारी DGM
5	जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर	जिला कार्यक्रम सह-समन्वयक DCM
6	RMO	आमंत्रित सदस्य

प्रशिक्षण बैच अनुसार रहेंगा।

बैच 1 - प्रातः 10:00 से 01:00 तक ।

बैच 2 - दोपहर 01:30 से 05:00 तक ।

दिनांक :- 09.08.2018

स्थान :- ऑडिटोरियम प्रशासन अकादमी, शाहपुरा भोपाल ।

बैच 1 जिले :- भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, अलिराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, इन्दौर, धार, झाबुआ, खण्डवा, खरगोन, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, आगर-मालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड ।

बैच 2 जिले :- ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, मण्डला, नरसिंहपुर, सिवनी, डिण्डोरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, दमोह, छतरपुर, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया ।

(डॉ. पल्लवी जैन गोविल)

ओ.एस.डी सह स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्य प्रदेश